

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28, 1970/अग्रहायण 7, 1892
No. 190] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28, 1970/AGRAHAYANA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th November, 1970

SUBJECT:—Final policy for import of "Dates" (S.N. 21 (b) IV from Iraq during September, 1970—August, 1971 licensing period on annual basis Grant of Supplementary licences.

No.171-ITC (PN)/70—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 146-ITC(PN)/70, dated 17th September, 1970 wherein an interim policy for import of dates from Iraq for the period September, 70—August 71 was announced.

2. The policy for the year September, 70—August, 71 has since been finalised; and it has been decided to grant supplementary licences for import of dates from Iraq to those Established Importers of dates from Iraq, who were granted import licences in terms of the aforesaid Public Notice, on the following basis :

Quota

(i) Established importers having past imports of dates from Iraq upto Rs. 12,500. Difference between Rs. 12,500 and the interim licence already issued.

(ii) Established importers having past imports of dates between Rs. 12,50/ and Rs. 1.5 lakhs. 50%

Quota

- | | |
|---|--|
| (iii) Established importers having past imports of dates from Iraq between Rs. 1,50,001/ and Rs. 5 lakhs. | 45% subject to total of the interim and supplementary licences not falling below Rs. 1.5 lakhs. |
| (iv) Established importers having past imports of dates from Iraq between Rs. 5,00,001 and Rs. 15 Lakhs. | 30% subject to total of the interim and supplementary licences not falling below Rs. 4,75,000/- |
| (v) Established importers having past imports of dates from Iraq of over Rs. 15 lakhs. | 20% subject to the total of the interim and supplementary licences not falling below Rs. 12 lakhs. |

3. The basic period for all established importers of "Dates" from Iraq will be from 1956-57 to 1967-68; and for importers detailed in item (i) to (iv) of the Annexure to this Public Notice the basic period will be as mentioned under each item.

4. The established importers should submit their applications to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, C.G.O. New Building, New Marine Lines, Churchgate, Bombay; Joint Chief Controller of Imports & Exports, 4, Esplanade East, Calcutta; Joint Chief Controller of Imports & Exports, 1st Line Beach, Madras; Joint Chief Controller of Imports & Exports (Central Licensing Area), Indraprastha Bhavan, New Delhi; Deputy Chief Controller of Imports & Exports, T.D. Road, Erankulam-1. (according to the jurisdiction under which they fell), on or before Tuesday, the 22nd December, 1970. No past import documents are required to be produced, provided such documents were produced in the past and were accepted in the past by the licensing authority concerned for issue of licences for import of Dates from Iraq. However, the established importers should quote the number and date of licences obtained by them in terms of Public Notice No. 146-ITC (PN)/70, dated 17th September 1970 as well as those obtained by them during the preceding two periods. The established importers, applying for the first time for grant of licences for import of Dates from Iraq according to the current policy, should submit unimpeachable documentary evidence of past import of 'Dates' from Iraq within the prescribed basic years i.e. 1956-57 to 1967-68.

5. The importers who are eligible in terms of Annexure to this Public Notice will also be granted supplementary licences to the extent of Rs. 7500/- each (Rupees Seven thousand and five hundred only), irrespective of their past imports of "Dates" from Iraq, subject to the provision contained in paragraph 45(2) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1970, with regard to division of quotas. They may submit their applications for import of "Dates" from Iraq for September, 1970—August, 1971 period to Joint Chief Controller of Imports & Exports (Central Licensing Area), Indraprastha Bhavan, New Delhi, on or before Tuesday, the 22nd December, 1970 in the usual form and manner complete in all respects.

6. It may be noted that no double benefit will be given and the applicants should submit one application only either in terms of paragraph 2 to 4 or in terms of paragraph 5 above and they should clearly mention in their applications that they have applied in one capacity only and not under both.

7. Licences issued in terms of this Public Notice will be valid for import of dates from Iraq, subject to the condition that not less than 60% of the face value of the licence shall have to be utilised for import of Dates from Iraq by Sailing vessels only and the balance 40% by Steamers etc.

8. All incomplete applications are liable to be rejected.

9. The licences issued in terms of this Public Notice will be valid up to the 30th June, 1971, from the date of issue and no further extension in the validity period of the licences will be granted.

10. It may be noted that the minimum value of import licences for dates from Iraq during September, 70—August, 71 has been enhanced to Rs. 12,500/- (Rupees twelve thousand and five hundred) only subject to the provisions contained in para 45(2) of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1970 with regard to division of quotas.

Annexure

S. No. & Part of the ITC Schedule	Description of goods	Licensing authority	Validity of licences	Basic of licensing
21(b)/IV	Dates	It. CCI&L (CLA), New Delhi.	Upto 30th June 1971.	Adhoc licences for import of Dates from Iraq will be issued to : (i) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from Afghanistan during the five years ended 30-6-1957; (ii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan, during the period from 1951-52 to 1967-68. (iii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan during the period from 1945-46 to 1950-51 provided these imports had been accepted by the licensing authority for grant of ad-hoc licences for import of fresh fruits from Pakistan during 1960 to 1964. (iv) Established importers who have imports of dry fruits to their credit from Pakistan during the period 1951-52 to 1967-68. (v) Co-operative Societies dealing in fresh fruits.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1970

विषय : वार्षिक आधार पर सितम्बर, 1970—अगस्त, 1971 लाइसेंस अवधि के दौरान ईराक से “खजूरों” (क्रम सं० 21(बी), चार) की अन्तिम आयात-नीति-पूरक लाइसेंसों की स्वीकृति ।

सं० 171-प्रर्व० टी० सी० (पी० एन०) 70:—विदेश व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 146—आई० टी० सी० (पी० एन०) 70, दिनांक 17 सितम्बर, 1970, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें सितम्बर, 1970—अगस्त 1971 की अवधि के लिए ईराक से खजूरों के आयात की अन्तरिम नीति घोषित की गई थी ।

2. सितम्बर, 1970—अगस्त, 1971 वर्ष के लिए नीति सुनिश्चित की जा चुकी है, निम्नलिखित आधार पर ईराक से खजूरों के आयात के लिए खजूरों के उन संस्थापित आयातकों को पूरक लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए निम्न्य किया गया है, जिन्हें उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार ईराक से लाइसेंस प्रदान किए गए थे :—

कोटा

- (1) संस्थापित आयातक जिनका ईराक से खजूरों के अन्तरिम लाइसेंसों जो पहली ही बार जारी किए जा चुके हैं उनके तथा का आयात रु० 2,500/- रुपये तक का है । 12,500/- रुपये के बीच का अन्तर ।
- (2) संस्थापित आयातक जिनका खजूरों का आयात 50 प्रतिशत । 12,501/- रुपये तथा 1.5 लाख रुपये के बीच तक का है ।
- (3) संस्थापित आयातक जिनका ईराक से खजूरों का आयात 45 प्रतिशत, बशर्ते कि अन्तरिम तथा पूरक लाइसेंसों का कुल योग रु० 1,50,001/- रु० तथा 6 लाख रुपये के बीच तक का है । 1.5 लाख रुपये से कम का नहीं हो
- (4) संस्थापित आयातक जिनका ईराक से खजूरों का आयात 30 प्रतिशत, बशर्ते कि अन्तरिम तथा पूरक लाइसेंसों का कुल योग रु० 5,00,001/- रु० तथा 15 लाख रुपये के बीच तक का है । 4,75,000/- रुपये से कम का नहीं है ।

- (5) संस्थापित आयातक जिनका ईराक से खजूरों का आयात 15 लाख रु० से अधिक का है। 20 प्रतिशत, बशर्ते कि अन्तरिम तथा पूरक लाइसेंसों का कुल योग 12 लाख रुपये से कम का नहीं है।

3. ईराक से 'खजूरों' का आयात करने वाले सभी संस्थापित आयातकों के लिए मूल अवधि 1956-57 से 1967-68 तक होगी तथा इस मार्बजनिन सचना के अनुबन्ध की मद (1) से (4) तक में आयातकों के लिए दिए गए विवरण के लिए मूल अवधि प्रत्येक मद के अन्तर्गत उल्लेख किए गए के अनुसार होगी।

4. संस्थापित आयातकों को चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्र संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, सी० जी० ओ०, न्यू विन्डिंग, न्यू मेरिन लाइन, चर्चगेट, बम्बई संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, 4, एस्पेनेड ईस्ट, कलकत्ता संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, 1 लाइन बीच, मद्रास संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र), इन्डियन भवन, नई दिल्ली/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, टी० डी० रोड, अमर्कुलम, -1 (अधिकार क्षेत्र के अनुसार जिसमें वे आते हैं) को मंगलवार 22 दिसम्बर, 1970 को अथवा इससे पहले प्रस्तुत करें। पुराने आयात सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि ऐसे दस्तावेज भूतकाल में प्रस्तुत किए गए हों और सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ईराक से खजूरों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए वे स्वीकार किए गए हों। लेकिन संस्थापित आयातकों को मार्बजनिन सूचना संस्था 146-आई० टी० सी० (पी० एन०) 170, दिनांक 17-9-1970 के अनुसार तथा साथ ही साथ पूर्वगामी दो अवधियों में प्राप्त किए गए लाइसेंसों की संख्या तथा दिनांक का हवाला देना चाहिए। वर्तमान नीति के अनुसार, ईराक से खजूरों का आयात करने के लिए प्रथम बार लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन करने वाले संस्थापित आयातकों को ईराक से खजूरों के पूर्वगामी आयात का अधिक्षेप्य दस्तावेजी माध्य निर्धारित मूल वर्षों अर्थात् 1956-57 से 1967-68 के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए।

5. उन प्रत्येक आयातकों को भी जो प्रस्तुत मार्बजनिन सचना के अनुबन्ध के अनुसार उपयुक्त हैं, ईराक से खजूरों के उनके गत आयातों के ऊपर ध्यान दिए बिना ही, कोटा के बंदबारे के सम्बन्ध में, आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि, डेडवक, 1970 की क्लॉक 45(2) में विहित व्यवस्थाओं के अधीन 7,500 रुपये (सात हजार पांच सौ रुपये मात्र) तक का आयात लाइसेंस दिए जाएंगे।

वे सितम्बर, 1970—अगस्त, 1971 अवधि के लिए ईराक से खजूरों के आयात के लिए अपने आवेदन पत्र सामान्य प्रपत्र में और यथा नीति सब प्रकार से पूर्ण मंगलवार, 22 दिसम्बर, 1970 को अथवा पहले संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र), नई दिल्ली को प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. इसे ध्यान में रखा जाय कि दो तरफा लाभ नहीं दिया जायगा और आवेदकों को या तो केवल उपर्युक्त कंडिका 2 से 4 अथवा कंडिका 5 के अनुसार एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा उन्हें अपने आवेदन पत्रों में स्पष्टरूप से यह उल्लेख कर देना चाहिए कि उन्हें केवल एक ही की हैसियत के अन्तर्गत आवेदन किया है न कि दोनों की।

7. इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस ईराक से खजूरों के आयात के लिए इस शर्त के अधीन वैध होंगे कि लाइसेंस के प्रकृत मन्त्र के 60 प्रतिशत का उपयोग ईराक से "खजूरों के आयात के लिए" केवल पाल-पोतों द्वारा करना होगा और शेष 40 प्रतिशत स्टीमरों आदि द्वारा।

8. सभी अधूरे आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जायेंगे।

9. इस सार्वजनिक सूचना के अधीन जारी किए गए लाइसेंस जारी होने की तिथि से 30 जून, 1971 तक वैध होंगे तथा उनकी वैधता अवधि की और वृद्धि के लिए अनमति नहीं दी जायगी।

10. इसे ध्यान में रखा जाए कि आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैडबुक, 1970 की कंडिका 45(2) में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार, सितम्बर, 1970-अगस्त 1971 के दौरान कोटा वंटबांटे के सम्बन्ध में, ईराक से खजूरों के आयात लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 12,500/ रुपये (बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र) तक बढ़ा दिया गया है।

क्रम सं० तथा माल का लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस देने का आधार
आई० टी० वर्णन वैधता
सो० अनुसूची
का भाग

1	2	3	4	5
21(बी)/4	खजूरें	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली।	30 जून 1971 तक।	ईराक के खजूरों के आयात के लिए तदर्थ लाइसेंस निम्नलिखित को जारी किए जायेंगे :— '1) संस्थापित आयातक, जिन्होंने अपने खाते पर 30-6-1957 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान अफगानिस्तान से ताजा फलों का आयात किया हो ;

कोटा

- (2) संस्थापित आयातक, जिन्होंने अपने खाने पर 1951-52 से 1957-58 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तान सहित सामान्य क्षेत्र के किसी भी देश से परन्तु अफगानिस्तान को छोड़कर, ताजा फलों का आयात किया हो :
- (3) संस्थापित आयातक, जिन्होंने अपने खाने पर 1945-46 से 1950-51 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तान सहित "सामान्य क्षेत्र" के किसी भी देश से परन्तु अफगानिस्तान को छोड़कर, ताजा फलों का आयात किया हो बशर्ते कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा 1960 से 1964 के दौरान पाकिस्तान से ताजा फलों का आयात करने के लिए तदर्थ लाइसेंसों की मंजूरी देने के लिए ये आयात स्वीकृत कर लिये गये थे ।
- (4) संस्थापित आयातक, जिन्होंने अपने खाने पर 1951-52 से 1957-58 की अवधि के दौरान पाकिस्तान से सूखे फलों का आयात किया हो ।
- (5) ताजा फलों का व्यापार करने वाली सहकारी समितियां ।

भार० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

.

4

1